[2019] 12 एस. सी. आर. 229

मेसर्स टेक्नोलॉजी पी. वी. टी. लिमिटेड।

(तकनीक आई. सी. बी. निजी के रूप में पहले से जाना जाता है

सीमित)

वी.

पंजाब राज्य और अन्य

(2019 की सिविल अपील संख्या 7358)

सितंबर 18,2019

[उदय उमेश ललित और इंदु मल्होत्रा, जे. जे.]

पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005:

एस. 62 (5) – पहली अपील-एस की वैधता। 62 (5) - पहली अपील की सुनवाई के लिए 25 प्रतिशत पूर्व जमा की शर्त -

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का कठोर, अनुचित और उल्लंघनकारी। एस. 62 (5) – पहली अपील-पहली अपील की सुनवाई के लिए 25 प्रतिशत पूर्व जमा की शर्त-राहत देने के लिए अपीलीय प्राधिकरण की शक्ति

पूर्व-जमा की आवश्यकता के विरुद्ध-आयोजितः यह नहीं कहा जा सकता कि

अपील सुनने के अपने अधिकार में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास गुण-दोष के आधार पर अपीलों की सुनवाई के लिए ऐसी शर्त लगाने के खिलाफ अंतरिम संरक्षण देने की अंतर्निहित शक्तियां हैं-प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में उसमें निहित पूर्व-जमा की शर्त को आंशिक रूप से या पूरी तरह से माफ करने का अधिकार नहीं है।

इस तरह की कोई भी कवायद प्रावधान को ही अव्यवहारिक बना देगी।

और वैधानिक आशय को निरर्थक बनाते हुए-इस प्रकार, पूर्व-जमा की शर्त को माफ करने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण दरकिनार कर दिया जाता है। निर्धारिती द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए और राज्य द्वारा दायर अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

कि जमा राशि के 25 प्रतिशत की शर्त भारी, कठोर, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाली न हो। भारत। [पैरा 17] [249-ई]

1.2 तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलीय प्राधिकरण के पास इस तरह की सांत्वना देने की निहित शक्ति होगी और इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इस पर भरोसा किया जाता है -

कुन्ही में इस न्यायालय का निर्णय। कुन्ही ने निस्संदेह कहा कि

वैधानिक शक्ति के एक स्पष्ट अनुदान के साथ, आवश्यक निहितार्थ से, ऐसे अनुदान को प्रभावी बनाने के लिए सभी उचित साधनों का उपयोग करने का अधिकार होता है। लेकिन क्या इस तरह की आकस्मिक या निहित शक्ति को खींचा जा सकता है और पूर्व की आवश्यकता के खिलाफ राहत देने के लिए लागू किया जा सकता है?

जमा तब किया जाता है जब कानून स्पष्ट रूप से कहता है-जब तक कि विचाराधीन राशि का 25 प्रतिशत जमा नहीं किया जाता है, तब तक कोई अपील नहीं की जाती है?

क्या इस तरह की कोई भी कवायद पूर्व-जमा के प्रावधान के अधिदेश को निरर्थक और अर्थहीन नहीं बना देगी? [पैरा 18,19] [249-एच; 250-ए-बी]

1.3 यदि अंतर्निहित शक्ति जिसका अस्तित्व विशेष रूप से धारा 151 जैसे प्रावधानों द्वारा स्वीकार किया जाता है

सी. पी. सी. और Cr.P.C की धारा 482 को इस सीमा के साथ पढ़ा जाना चाहिए कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग इसके लिए नहीं किया जा सकता है। ऐसा करना जो विशेष रूप से निषिद्ध है, उसी सीमा को एक अपीलीय की निहित शक्ति के दायरे और चौड़ाई में पढ़ा जाना चाहिए।

एक कानून के तहत प्राधिकरण। किसी भी मामले में निर्धारित सिद्धांत

माताजोग डोबे मामले में स्पष्टता के साथ कहा गया है कि जब तक कोई स्पष्ट अवरोध नहीं है, तब तक निहित शक्ति ऐसे सभी कार्यों को करने या ऐसे साधनों को नियोजित करने के लिए विस्तारित हो सकती है जो उचित रूप से आवश्यक हैं।

इस तरह का निष्पादन। कुन्ही में निर्धारित सिद्धांत पर निर्भरता उस हद तक नहीं जा सकती है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है, जिससे अपीलीय प्राधिकरण को सीमा को पार करने में सक्षम बनाया जा सके। कानून द्वारा निर्धारित और पूर्व जमा की आवश्यकता के खिलाफ जाते हैं। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की कि भले ही प्रथम अपीलीय प्राधिकरण को अंतरिम निषेधाज्ञा/संरक्षण का आदेश पारित करने के लिए कोई स्पष्ट शक्ति प्रदान नहीं की गई हो, लेकिन विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निहितार्थ और इरादे से।

घोषणाओं और कानूनी प्रस्ताव में और न्याय के हित में, यह अनिवार्य रूप से माना जाएगा कि शक्ति

अनुदान अंतरिम निषेधाज्ञा/संरक्षण पी. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 62 (5) में अंतर्निहित है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अधिकार दिया गया है -

दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में उसमें निहित पूर्व-जमा की शर्त को आंशिक रूप से या पूरी तरह से माफ कर दें। इसलिए, शक्ति प्रथम अपीलीय मेसर्स TECNIMONT PVT द्वारा अंतरिम संरक्षण/निषेधाज्ञा प्रदान करना।

लिमिटेड। (पहले से ही आई. सी. बी. पी. वी. टी. तकनीक के रूप में जाना जाता है। लिमिटेड.) वी. पंजाब राज्य

अनुचित कठिनाई के मामले में उपयुक्त मामलों में प्राधिकरण कानूनी है।

और वैध। [पैरा 24,6] [238-एफ-जी; 239-ए, डी; 254-बी-डी]

1.4 जैसा कि पी. लक्ष्मी देवी और हर देवी आसनानी मामले में कहा गया है,

कठिनाई के वास्तविक मामले, सहायता अभी भी संबंधित व्यक्ति के लिए खुली होगी। लेकिन यह पूरी तरह से अलग होगा।

कहने की बात यह है कि अपीलीय प्राधिकरण स्वयं ऐसी राहत दे सकता है। जैसा कि श्याम किशोर के मामले में कहा गया है कि इस तरह की कोई भी कवायद प्रावधान को ही अव्यवहारिक बना देगी और वैधानिक बना देगी।

अभिप्रेरणा निरर्थक। इस प्रकार, उक्त प्रश्न के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को दरकिनार कर दिया जाता है। [पैरा 25] [254-डी-एफ]

श्याम किशोर और अन्य बनाम। नगर निगम दिल्ली और एक अन्य (1993) 1 एस. सी. सी. 22-पर निर्भर था।

आय कर आयुक्त v. बंसी धर एंड संस एंड अन्य (1986) 157 आईटीआर 665 (एससी): (1986) 1 एससीसी 523: [1985] 3 पूरक। एस. सी. आर. 850; द अनंत मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम

गुजरात राज्य और अन्य (1975) 2 एससीसी 175:

एस. सी. आर. 1181; विजय प्रकाश डी. मेहता और एक अन्य बनाम। सीमा शुल्क कलेक्टर (निवारक), बॉम्बे (1988) 4

एस. सी. सी. 402 [1988] 2 पूरक। एस. सी. आर. 434; गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड बनाम नगर निगम

अहमदाबाद और अन्य (1999) 4 एस. सी. सी. 468: [1999] 2 एससीआर 895; हरियाणा राज्य बनाम। मारुति उद्योग लिमिटेड और अन्य (2000) 7 एस. सी. सी. 328: [2000] 3 पूरक। एससीआर

185 ; एस. ई. ग्रेफाइट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम की स्थिति

तेलंगाना और ओआरएस। (2019) एससीसी ऑनलाइन एससी 842;

माताजोग दुबे बनाम। एच. सी. भारी 1955 (2) एस. सी. आर. 925:

[1955] 2 एससीआर 925; विनोद सेठी बनाम। देविंदर बजाज (2010) 8 एससीसी 1: [2010] 7 एस. सी. आर. 424; सूरज देवी बनाम प्यारे लाल

और एक अन्य (1981) 1 एस. सी. सी. 500 [1981] 2 एस. सी. आर. 485; सिमरीखिया बनाम। डॉली मुखर्जी और छवि मुखर्जी और दूसरा (1990) 2 एस. सी. सी. 437: [1990] 1 एस. सी. आर. 788; राज्य बनाम. के. वी. राजेंद्रन और अन्य (2008) 8 एस. सी. सी. 673: [2008] 12 एस. सी. आर. 1141; आंध्र प्रदेश सरकार

और अन्य वी। पी. लक्ष्मी देवी (श्रीमती) (2008) 4 एससीसी 720: [2008] 3 एस. सी. आर. 330; हर देवी आसनानी बनाम।

[2019

] 12 एस. सी. आर. का राज्य

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजस्थान और अन्य (2011) 14 एससीसी 160: [2011] 11

एस. सी. आर. 599; आयकर अधिकारी बनाम एम. के. मोहम्मद कुन्ही

(1969) 2 एससीआर 65-संदर्भित

मामला कानून संदर्भ

[1969] 2 एससीआर 65

उस पर भरोसा करें

पै

रा 18,19

[1985] 3 पूरक। एससीआर 850

पै

रा 6

संदर्भित किया गया है

[1975] 3 एससीआर 220

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

[1980] एससीआर 1181

पै

रा 9

संदर्भित किया गया है

[1988] 2 पूरक। एससीआर 434

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

[1992] 1 पूरक। एससीआर 349

उस पर भरोसा करें

पै

रा 25

[1999] 2 एससीआर 895

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

[2000] 3 पूरक। एससीआर 185

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

[2008] 3 एससीआर 330

उस पर भरोसा करें

पै

रा 18,25

[2011] 11 एससीआर 599

उस पर भरोसा करें

पै

रा 18,25

(2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 842 संदर्भित

पै

रा 10

[1955] 2 एससीआर 925

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

[2010] 7 एससीआर 424

पै

रा 22

संदर्भित किया गया है

[1981] 2 एससीआर 485

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[1990] 1 एससीआर 788

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[2008] 12 एससीआर 1141

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

सिविल अपील

न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 7358

2019 का

के साथ

सिविल अपील सं। 7359 , 7360 , 7379 , 7373 , 7378 , 7372 , 7382 , 7362 ,

7361 , 7371 , 7376 , 7370 , 7369 , 7363 , 7377 , 7364 , 7365 , 7366 , 7375 , 7381 . 7374 , 7367 , 7368 , 7380 , 7383 2019 से।

उच्च न्यायालय के 23.12.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 की सिविल रिट याचिका संख्या 26920 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार की ओर से।

वी. शेखर, देव दत्त कामत, वरिष्ठ अधिवक्ता। , वी. लक्ष्मीकुमारन,

सुश्री चरण्या एल., आदित्य भट्टाचार्य, सुश्री अपेक्षा मेहता, विक्टर दास, मनीष रस्तोगी, विकास सिंह जांगड़ा, प्रवीण कुमार, राजीव मेसर्स टेक्निमॉन्ट पी. वी. टी.

लिमिटेड। (पहले से ही आई. सी. बी. पी. वी. टी. तकनीक के रूप में जाना जाता है। लिमिटेड.) वी. पंजाब राज्य

अग्निहोत्री, सुश्री बबीता संत, संदीप गोयल, पवनश्री अग्रवाल, सुश्री अभिप्सा अनामिका, कुलदिप सिंह, सुश्री उत्तरा बब्बर, सुश्री भावना दुहून, मनन बंसल, आलोक यादव, हरीश पांडे, सुश्री रंजीता रोहतगी, निशांत पाटिल, जावेद उर रहमान पाई अमित, प्रियदर्शी।

चैतन्यशील, सुश्री सुजाता कुर्दुकर, सतिंदर एस. गुलाटी, श्रीमती कमलदीप गुलाटी, प्रवीण कुमार, सुश्री मंजू जेटली, सुश्री नेहा गुलाटी, जतिंदर पाल सिंह, मयंक पांडे, सुश्री साक्षी कक्कड़, शक्ति सिंह, संदीप चिलाना, जसमीत सिंह, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे।

1. अपील करने के लिए विशेष अनुमति दी गई।

2. ये अपीलें दिनांकित निर्णय और आदेश को चुनौती देती हैं।

23.12.2015 चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2013 की सिविल रिट याचिका No.26920 में पारित किया गया और सभी संबंधित

और पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 62 (5) की वैधता के बारे में सवाल उठाते हैं (जिसे इसके बाद "पी. वी. ए. टी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

3. पी. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 62 का पाठ इस प्रकार हैः

" 62. प्रथम अपील (1) इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत पारित प्रत्येक मूल आदेश के खिलाफ अपील होगी, -

(क) यदि आदेश किसी उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी द्वारा या सूचना संग्रह केंद्र या चेक पोस्ट के प्रभारी अधिकारी या उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त के पद से नीचे के किसी अन्य अधिकारी द्वारा उप उत्पाद शुल्क को दिया जाता है।

और कराधान आयुक्त;

(ख) यदि आदेश उप-उत्पाद शुल्क और कराधान द्वारा किया जाता है।

आयुक्त, आयुक्त को;

(ग) यदि आदेश आयुक्त या आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी अधिकारी द्वारा न्यायाधिकरण को दिया जाता है।

(2) उप उत्पाद शुल्क और कराधान द्वारा अपील में पारित एक आदेश

आयुक्त या आयुक्त या किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जिस पर

आयुक्त की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, आगे दी जाएंगी

न्यायाधिकरण में अपील योग्य।

(3) न्यायाधिकरण का प्रत्येक आदेश और केवल ऐसे आदेश के अधीन, आयुक्त या शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी भी अधिकारी का आदेश

आयुक्त या उप उत्पाद शुल्क का आदेश और [2019] 12 एस. सी. आर.

कराधान आयुक्त या नामित अधिकारी, यदि वह नहीं था

अपील या पुनरीक्षण में चुनौती अंतिम होगी।

(4) जब तक यह आदेश के संचार की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर दायर नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। (5) किसी भी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी अपील के साथ सृजित अतिरिक्त मांग की कुल राशि के पच्चीस प्रतिशत के पूर्व न्यूनतम भुगतान, जुर्माना और ब्याज, यदि कोई हो, का संतोषजनक प्रमाण न हो।

व्याख्याः इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए "अतिरिक्त

"माँग" से इस अधिनियम या बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के तहत पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप लगाया गया कोई कर अभिप्रेत है।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 74) के तहत या उसके तहत

1956) .

(7) अपील पर निर्णय लेने में, अपीलीय प्राधिकारी, पक्षों को सुनने का अवसर देने के बाद, एक आदेश देगा -

(क) निर्धारण की पुष्टि या संशोधन या रद्द करना या

अपील के तहत आदेश; या

(ख) ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो उसे न्यायसंगत और उचित लगे।

(8) अपीलीय प्राधिकारी एक अपील का निर्णय करते समय एक बोलने वाला आदेश पारित करेगा और आदेश की प्रतियां अपीलार्थी और उस अधिकारी को भेजेगा जिसका आदेश अपील का विषय था।

4. मामलों में शामिल प्रश्नों को उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किया गया था

टी निम्नानुसार हैः

" (क) क्या राज्य को धारा 62 (5) को लागू करने का अधिकार है।

पीवीएटी अधिनियम?

(ख) क्या पहली अपील की सुनवाई के लिए 25 प्रतिशत पूर्व-जमा की शर्त भारी, कठोर, अनुचित है और इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है?

(ग) क्या अपील सुनने के अपने अधिकार में पहले अपीलीय प्राधिकारी के पास अधिरोपण के खिलाफ अंतरिम संरक्षण देने की अंतर्निहित शक्तियां हैं। गुण-दोष पर अपीलों की सुनवाई के लिए ऐसी शर्त?

5. चूंकि उक्त धारा 62 (5) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की संख्या दायर की गई थी, इसलिए उच्च न्यायालय ने सी. डब्ल्यू. पी. No.26920 तकनीक पी. वी. टी. पर विचार किया था।

13 मुख्य मामले के रूप में और उक्त याचिका से संबंधित तथ्य थेउच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पैरा 2 में विस्तार से कहा गया हैः

" याचिकाकर्ता-पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक है

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के तहत गठित वैधानिक निकाय।

यह बिजली के उत्पादन, वितरण और आपूर्ति में लगा हुआ है।

उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा/बिजली और अन्य संबद्ध सामग्री

विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के साथ-साथ इसके तहत बनाए गए नियम और विनियम। याचिकाकर्ता निर्धारित के अनुसार विवरणी दाखिल कर रहा था और पंजाब मूल्य वर्धित कर, 2005 (संक्षेप में, "पी. वी. ए. टी. अधिनियम") की धारा 15 के अनुसार जो भी कर देय था, उसे जमा किया जा रहा था। वर्ष 2007-08 के लिए, पी. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत 1.4.2007 से 31.3.2008 तक की अवधि के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक जानकारी के साथ विवरणी थी। प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद, पी. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 26 और पंजाब मूल्य के नियम 40 (1) के तहत निर्धारित अंतिम तिथि से पहले फॉर्म वैट 20 में वार्षिक विवरण दाखिल किया गया था।

कर नियम, 2005 जोड़ा गया (संक्षेप में, "नियम")। इसी तरह, 2008-09 और 2009-10 वर्षों के लिए, रिटर्न समय पर दाखिल किए गए थे और फॉर्म VAT 20 में वार्षिक विवरण भी अंतिम तिथियों से पहले दाखिल किए गए थे। आबकारी और कराधान अधिकारी सह नामित अधिकारी (ई. टी. ओ.) - प्रतिवादी संख्या 2 ने पी. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 29 के तहत नोटिस जारी करके वर्षों 2007-08,2008-09 और 2009-10 के लिए मूल्यांकन कार्यवाही शुरू की। याचिकाकर्ता के प्रतिनिधियों ने कार्यवाही में भाग लिया और स्पष्टीकरण दिया। मूल्यांकन किया गया था

पी. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत तैयार किए गए 19.9.2011 के आदेशों के अनुसार,

31.10.2012 और मूल्यांकन वर्षों के लिए 31.11.2012 2007-08, 2008-09 और 2009-10, अनुलग्नक पी. 1, पी. 1/ए और पी. 1/बी क्रमशः।

अधिकारी ने कर योग्य कारोबार में निम्नलिखित वृद्धि की विवरणी में घोषित किया गयाः

(i) ग्राहकों से शुल्क के संबंध में प्राप्तियां

मीटर किराया कर में लाया गया था;

(ii) सेवा लाइन किराये के रूप में ग्राहकों से शुल्क के संबंध में प्राप्तियों को भुगतान करते समय कर के लिए खरीदा गया था।

ये मीटर किराए के रूप में हैं।

उपरोक्त कर के अलावा, ई. टी. ओ. ने पी. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 53 के तहत जुर्माना और धारा 32 के तहत ब्याज लगाया, जिसके परिणामस्वरूप [2019] 12 एस. सी. आर.

उपरोक्त वर्षों के लिए क्रमशः Rs.26,52,79,716/-, Rs.27,64,73,245/- और Rs.22,18,31,454/- की मांग बढ़ाने में। याचिकाकर्ता ने 2011 का सी. डब्ल्यू. पी. No.21127 दाखिल करके इस अदालत के समक्ष आदेश को चुनौती दी। दिनांक 7.11.2012, अनुलग्नक पी. 2 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपील के उपचार के लिए निर्वासित कर दिया। याचिकाकर्ता ने सभी उपरोक्त मूल्यांकन वर्षों के लिए पी. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 62 के तहत अपील दायर करके अपीलीय प्राधिकरण यानी उप आबकारी और कराधान आयुक्त (अपील) से संपर्क किया। अपीलों के साथ, पी. वी. ए. टी. की धारा 62 के तहत आवेदन

कर की वसूली पर रोक लगाने और पूर्व-जमा की आवश्यकता को समाप्त करके अपीलों के मनोरंजन के लिए अधिनियम भी इस आधार पर दायर किया गया था कि याचिकाकर्ता की वित्तीय स्थिति बहुत तंग थी और मांग का भुगतान करने के लिए कोई तरल संपत्ति नहीं थी। 13.2.2013 दिनांकित आदेश के माध्यम से, अपीलीय

प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को अतिरिक्त मांग का 25 प्रतिशत सरकारी खजाने में 27.2.2013 द्वारा जमा करने का निर्देश दिया, जिसमें विफल रहने पर अपीलों को सीमित रूप से खारिज कर दिया जाएगा। आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने पंजाब वैट न्यायाधिकरण (संक्षेप में, "न्यायाधिकरण") के समक्ष अपील दायर की। याचिकाकर्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि उसकी वित्तीय स्थिति बहुत खराब है और यह 25 प्रतिशत का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए नुकसान को अपीलीय प्राधिकरण को विधिवत समझाया गया है। चूँकि याचिकाकर्ता ने पहले ही विचाराधीन मूल्यांकन वर्षों के लिए स्वेच्छा से रु. 1,97,05,910/-, रु. 1,88,34,187/- और रु. 1,94,93,597/- का कर का भुगतान कर दिया था, इसलिए मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा बनाई गई अतिरिक्त मांग के खिलाफ इसे समायोजित किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई दलीलों से इस हद तक सहमत था कि मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा की गई अतिरिक्त मांग के खिलाफ स्वेच्छा से कर की राशि को समायोजित करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, न्यायाधिकरण ने अपीलों का निपटारा करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता को अहुलवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया प्राइवेट के मामले में आदेश के संदर्भ में कर, जुर्माना और ब्याज की राशि का 25 प्रतिशत जमा करना आवश्यक है। सीमित। आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने सी. डब्ल्यू. पी. संख्या दायर की। 17370 2013 का 2013,17031 और 17053 जिसका निपटान दिनांक 31.10.2013, अनुलग्नक पी. 8 के आदेश के माध्यम से किया गया था। याचिकाकर्ता को रिट याचिका वापस लेने की अनुमति दी गई ताकि वह न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने के साथ-साथ पी. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 62 (5) के अधिकारों को चुनौती दे सके। इसलिए याचिकाकर्ता (ओं) द्वारा तत्काल रिट याचिकाएं। ”

तकनीक पी. वी. टी. लिमिटेड। (पहले से ही आई. सी. बी. पी. वी. टी. तकनीक के रूप में जाना जाता है। लिमिटेड.) वी. पंजाब राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

6. उपरोक्त प्रश्नों को तैयार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने

इस न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों के साथ-साथ कुछ

न्यायालयों और निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया गयाः

" इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि राज्य को अधिनियम की धारा 62 (5) को अधिनियमित करने का अधिकार है और उक्त प्रावधान कानूनी और वैध है। द.

पहली अपील की सुनवाई के लिए 25 प्रतिशत पूर्व-जमा की शर्त कठिन, कठोर, अनुचित और अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। भारत के संविधान "।

प्रश्न (ग) पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से भरोसा किया

आयकर अधिकारी बनाम मामले में इस न्यायालय का निर्णय। एम. के.

अहमद कुन्ही 1 और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णय जोओलोव ने कहा निर्णय। में निर्णय से प्रासंगिक अंश

i1 इस प्रकार हैः

" हमारे सामने अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया गया

कि किसी अपील के लंबित रहने के दौरान वसूली पर रोक लगाने से संबंधित अधिनियम की धारा 254 और 255 में किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि न्यायाधिकरण द्वारा ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जो एक मौलिक दुर्बलता से ग्रस्त है क्योंकि यह

यह मानता है और इस आधार पर आगे बढ़ता है कि क़ानून प्रदान करता है

आयकर अधिकारी पर ऐसी शक्ति जो दे सकता है

किसी निर्धारिती को आवश्यक राहत। अपील का अधिकार एक है

मौलिक अधिकार और तथ्य और कानून के सवाल बड़े पैमाने पर हैं। और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा समीक्षा के लिए खुले हैं। वास्तव में न्यायाधिकरण

धारा 254 (1) के तहत बहुत व्यापक शक्तियां दी गई हैं क्योंकि यह अपील के दोनों पक्षों को पूरी सुनवाई देने के बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे। यदि आयकर अधिकारी और अपीलीय सहायक आयुक्त ने आकलन किया है या लगाया है बहुत बड़ी मांगों को उठाने वाले दंड और यदि अपीलीय न्यायाधिकरण

रहने या पूरी तरह से ठीक होने के मामले में पूरी तरह से असहाय है

अपील के उद्देश्य को विफल किया जा सकता है यदि अंततः के आदेश विभागीय अधिकारियों को अलग कर दिया जाता है। गर्भधारण करना मुश्किल है।

कि विधायिका को पूरा मामला उस पर छोड़ देना चाहिए था

प्रशासनिक अधिकारी ऐसे आदेश देते हैं जो वे अनियंत्रित विवेक का प्रयोग करते हुए पारित करने का विकल्प चुनते हैं। निर्धारिती, जैसा कि पहले बताया गया है, को अपील न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित होने पर आवेदन दायर करने का भी कोई अधिकार नहीं है। धारा 220 (6) और यह केवल अपील के प्रारंभिक चरण में है।

अपीलीय सहायक आयुक्त ने कहा कि कानून में आयकर अधिकारी द्वारा ऐसे मामले को निपटाने का प्रावधान है। यह एक दृढ़ता से स्थापित नियम है कि वैधानिक शक्ति का एक स्पष्ट अनुदान इस तरह के अनुदान को प्रभावी बनाने के लिए सभी उचित साधनों का उपयोग करने के लिए प्राधिकरण को आवश्यक निहितार्थ से वहन करता है (सदरलैंड सांविधिक निर्माण, तीसरा संस्करण, अनुच्छेद 5401 और 5402)। धारा 254 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ अधिकतम संभव विस्तार वाले अपीलीय न्यायाधिकरण को आवश्यक निहितार्थ के साथ सभी शक्तियों और कर्तव्यों को अपने साथ ले जाना चाहिए।

और उन शक्तियों का पूरी तरह से प्रयोग करना आवश्यक है प्रभावी।

.....

..... हमारी राय में अपीलीय न्यायाधिकरण को अपने अपीलीय के आकस्मिक या सहायक के रूप में स्थगन देने की शक्ति होनी चाहिए।

अधिकार क्षेत्र। यह विशेष रूप से तब होता है जब धारा 220 (6) किसी ऐसी स्थिति से स्पष्ट रूप से संबंधित होती है जब कोई अपील अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष लंबित होती है, लेकिन जब कोई अपील अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित होती है तो अधिनियम उस संबंध में चुप रहता है। यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि जब धारा 254 अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है, तो यह निहित रूप से ऐसे सभी कार्यों को करने या ऐसे साधनों को नियोजित करने की शक्ति प्रदान करती है, जो इसके निष्पादन के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं और यह कि वैधानिक शक्ति उचित मामलों में कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए ऐसे आदेश देने का कर्तव्य अपने साथ रखती है जो कार्यवाही को रोकने में सहायक हो।

अपील यदि सफल हो जाती है तो उसे निरर्थक माना जाता है।

उच्च न्यायालय ने आयकर बनाम के मिशनर में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया। बंसी धर एंड संस और अन्य 2.

उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकालाः

" इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भले ही पहली अपीलीय प्राधिकरण को अंतरिम निषेधाज्ञा/संरक्षण का आदेश पारित करने के लिए कोई स्पष्ट शक्ति प्रदान नहीं की गई हो, हमारी राय में, विभिन्न घोषणाओं और कानूनी प्रस्तावों को देखते हुए आवश्यक निहितार्थ और इरादे से।

ऊपर वर्णित और न्याय के हित में, यह अनिवार्य रूप से माना जाएगा कि अंतरिम निषेधाज्ञा/संरक्षण देने की शक्ति पी. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 62 (5) में निहित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जल्दबाजी करने के बजाय, पहली अपील के चरण में शिकायत का निवारण किया जा सकता है।

5) 157 आई. टी. आर. 665 (एस. सी.) = (1986) 1 एस. सी. सी. 523 एम/एस. प्रौद्योगिकी पी. वी. टी.

लिमिटेड। (पहले से ही आई. सी. बी. पी. वी. टी. तकनीक के रूप में जाना जाता है। लिमिटेड.) वी. पंजाब राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

प्राधिकरण। अगली कड़ी के रूप में, यह होगा कि पी. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 62 (5) के प्रावधान प्रकृति में निर्देशिका हैं जिसका अर्थ है

दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में उसमें निहित पूर्व-जमा की शर्त को पूरी तरह से माफ कर दें। इसका उपयोग नियमित रूप से या निश्चित रूप से कराधान और राजस्व कानूनों की विशेष प्रकृति को देखते हुए नहीं किया जाना चाहिए। केवल जब एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाया जाता है, तो पहला अपीलीय प्राधिकरण इस बात पर विचार करेगा कि अंतरिम संरक्षण/निषेधाज्ञा दी जाए या नहीं। आंशिक या पूर्ण छूट केवल उन योग्य और उपयुक्त मामलों में दी जाएगी जहां प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि अपील का पूरा उद्देश्य विफल या निरर्थक हो जाएगा। जमा-पूर्व की शर्त को उसके समक्ष अपील की सुनवाई के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में जारी रखने की अनुमति देना। इसलिए, अनुचित कठिनाई के मामले में उपयुक्त मामलों में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अंतरिम संरक्षण/निषेधाज्ञा प्रदान करने की शक्ति कानूनी है।

और वैध। नतीजतन, पूछे गए प्रश्न (ग) का उत्तर उसी के अनुसार दिया जाता है।

7. 2016 के एस. एल. पी. (सी) No.27072 से उत्पन्न अपील में अपीलार्थी को, हालांकि मूल कार्यवाही का पक्षकार नहीं था, उच्च न्यायालय के तत्काल निर्णय को चुनौती देने की अनुमति दी गई थी। अपीलार्थी के रूप में

साथ ही जिन्हें समान रूप से रखा गया है, वे पहले दो प्रश्नों के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित हैं, जबकि राज्य की ओर से प्रश्न (ग) के संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को चुनौती दी गई है। इन सभी मामलों को छत्तीसगढ़ मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 48 (4) की वैधता के संबंध में चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया गया था। छत्तीसगढ़ के मामलों का निपटारा इस न्यायालय द्वारा 2014 की रिट याचिका (सिविल) No.212 और संबंधित मामलों में पारित दिनांक 16.04.2019 के आदेश द्वारा किया गया था। प्रावधान

पी. वी. ए. टी. अधिनियम कुछ अलग होने के कारण, पंजाब राज्य के मामलों को अलग से निपटाने का निर्देश दिया गया था। हमने पक्षकारों के लिए विद्वान परामर्श सुना

8. द अनंत मिल्स कं. लिमिटेड बनाम। गुजरात राज्य और अन्य, इस न्यायालय के चार न्यायाधीशों की एक पीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ बॉम्बे प्रांतीय नगरपालिका की धारा 406 की वैधता को चुनौती दी।

निगम अधिनियम, 1949 को 1970 के गुजरात अधिनियम संख्या 5 द्वारा संशोधित किया गया। प्रासंगिक प्रावधान के अनुसार, अनुमोदन योग्य मूल्य या कर के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी।

एस. एल. पी. (सी) सं. से उत्पन्न अपीलों में। 1742 , 1743 और 2017 का 4383 4 (1975) 2 एस. सी. सी 175 [2019] 12 एस. सी. आर.

जब तक दावा की गई राशि मिशनरी के पास जमा नहीं की जाती है, तब तक इस पर विचार किया जाएगा। यद्यपि उक्त धारा के परंतुक ने अपीलार्थी को अभियोग की कठोरता से मुक्त करने की अपील पर विचार करते हुए ई को अधिकार दिया यदि न्यायाधीश की राय में यह अनुचित कठिनाई पैदा करेगा।

अपीलार्थी। इस संबंध में चर्चा इस प्रकार थीः

यह राय कि अपीलार्थी द्वारा राशि जमा करने से उसे अनुचित कठिनाई होगी, न्यायाधीश अपने विवेकाधिकार पर ऐसी जमा राशि या उसके हिस्से को या तो बिना शर्त या ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह उचित समझे, समाप्त कर सकता है। उपरोक्त प्रावधान का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दावा की गई राशि की जमा राशि सुनिश्चित करना है। किसी अपीलार्थी से, यदि वह किसी कर के खिलाफ या किसी दर योग्य मूल्य के खिलाफ अपील दायर करना चाहता है, तो ऐसे मूल्य पर निर्धारित किसी संपत्ति कर के लिए एक बिल उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद। उसी समय अपील न्यायाधीश को अपीलार्थी को उपरोक्त प्रावधान की कठोरता से मुक्त करने की शक्ति दी जाती है, यदि न्यायाधीश की राय है।

कि इससे अपीलार्थी को अनुचित कठिनाई होगी। द.

एक शर्त के रूप में दावा की गई राशि के जमा के बारे में आवश्यकता हमारी राय में, उस कर के अधिरोपण या मात्रा को चुनौती देने वाली अपील के मनोरंजन के लिए पूर्ववर्ती, अपील के अधिकार को रद्द करने का प्रभाव नहीं है, विशेष रूप से जब हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हैं कि उपरोक्त आवश्यकता के अनुपालन को समाप्त करने के लिए विवेकाधिकार अपीलीय न्यायाधीश में निहित है। वैधानिक प्रावधान केवल अपील के अधिकार के प्रयोग को विनियमित करना चाहता है। उपरोक्त प्रावधान का उद्देश्य अपील के अधिकार को संतुलित रखना है, जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है।

जो उससे की गई कर की मांग और निगम के कर की शीघ्र वसूली के अधिकार से व्यथित है। द.

विवादित प्रावधान तदनुसार अपील का अधिकार प्रदान करता है और साथ ही कर के भुगतान में देरी को रोकता है।

हम पी. वी. टी. बना रहे हैं। लिमिटेड। (पहले से ही आई. सी. बी. पी. वी. टी. तकनीक के रूप में जाना जाता है। लिमिटेड.) वी. पंजाब राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

उससे देय कर की राशि और जो अपीलीय न्यायाधीश को यह दिखाने में सक्षम नहीं है कि राशि जमा करने से उसे अनुचित कठिनाई होगी, उसकी अपनी चूक और चूक से उत्पन्न होती है। उपरोक्त प्रावधान, हमारी राय में, अनुचित भेद करने या दो वर्गों का निर्माण करने का प्रभाव नहीं है, जिसका उद्देश्य उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करना है; यह केवल उस व्यक्ति की चूक और चूक से होने वाले परिणामों को बताता है जो इस तथ्य के बावजूद कि देय राशि जमा की गई है। उससे उसे कोई कठिनाई नहीं होगी, वह उस राशि को जमा करने के लिए अपनी इच्छा से इनकार कर देता है। अपील का अधिकार एक क़ानून का सृजन है। इस तरह के अधिकार का निर्माण करने वाले वैधानिक प्रावधान के बिना पीड़ित व्यक्ति अपील दायर करने का हकदार नहीं है। हम असफल हैं।

यह समझें कि विधानमंडल अपील का अधिकार देते समय ऐसे अधिकार के प्रयोग के लिए शर्तें क्यों नहीं लगा सकता है। किसी विशेष कारण के अभाव में ऐसी शर्तों को लागू करने में कोई कानूनी या संवैधानिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। उदाहरण के लिए, आपराधिक मामले में एक शर्त निर्धारित करने की अनुमति है।

मामले कि जब तक कोई दोषी व्यक्ति जमानत पर रिहा नहीं होता है, उसे कारावास की सजा के खिलाफ अपनी अपील पर विचार करने से पहले हिरासत में आत्मसमर्पण करना होगा। इसी तरह, एक कानून बनाने की अनुमति है कि कर के निर्धारण से संबंधित आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी जब तक कि कर का भुगतान नहीं किया गया था। इस तरह का प्रावधान भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 30 में क़ानून की पुस्तक में था। उस धारा के परंतुक में प्रावधान किया गया था कि "... . धारा 46 की उप-धारा (1) के तहत किसी आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी जब तक कि कर का भुगतान नहीं किया गया था। ऐसी शर्तें केवल विनियमित करती हैं

अपील के अधिकार का प्रयोग ताकि एक अवज्ञाकारी पक्ष द्वारा इसका दुरुपयोग न किया जाए और अपील अंततः खारिज होने की स्थिति में उसके खिलाफ अपील किए गए आदेश को लागू करने में कोई कठिनाई न हो। यह विधानमंडल के लिए खुला है कि वह उस पक्ष पर एक सह-दायित्व अधिरोपित करे जिसे कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है या निर्धारित करने के लिए

अधिकार के प्रयोग के लिए शर्तें। [2019] 12 एस. सी. आर. के लिए कोई भी आवश्यकता।

उस दायित्व का निर्वहन या उस शर्त की पूर्ति यदि संबंधित पक्ष उक्त अधिकार का लाभ उठाना चाहता है तो यह एक वैध कानून है और हम इसमें अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं देख सकते हैं। किसी पक्ष के स्वयं के चूक या चूक से उत्पन्न होने वाली अक्षमता या नुकसान को संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ दो वर्गों के निर्माण के समान नहीं माना जा सकता है, खासकर जब वह अक्षमता या नुकसान सभी व्यक्तियों पर लागू होता है।

जो चूक या चूक करते हैं "।

9. सेठ नंद लाल और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और

आर. एस. एस., इस न्यायालय की संविधान पीठ को अपील के अधिकार के प्रयोग के लिए पूर्व-जमा की शर्त पर विचार करने के लिए कहा गया था। एक निवेदन प्रस्तुत किया गया था कि द अनंत मिल्स कं. Ltd.4 में विचार किए गए प्रावधान के विपरीत, अपीलीय प्राधिकरणअपीलार्थी को बैठने से पहले की आवश्यकता से मुक्त करने का अधिकार नहीं है। प्रस्तुतिकरण पर इस प्रकार विचार किया गयाः

" 22. इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अपील का अधिकार एक कानून का एक रूप है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि विधायिका अधिकार प्रदान करते समय ऐसे अधिकार के प्रयोग के लिए शर्तें लागू नहीं कर सकती है जब तक कि शर्तें इतनी कठिन नहीं हैं कि अधिकार को लगभग भ्रामक बनाने वाले अनुचित प्रतिबंधों के बराबर हो (वीडियोः अनंत मिल्स लिमिटेड में नवीनतम निर्णय।

वी. गुजरात राज्य)। हालाँकि, अपीलकर्ताओं के वकील ने आग्रह किया कि लगाई गई शर्तों को अनुचित माना जाना चाहिए

विशेष रूप से कठिन जब कोई विवेक नहीं छोड़ा गया है

उपयुक्त और उचित मामलों में शर्त में ढील देने या छूट देने या उसके संबंध में छूट देने के लिए अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकरण और इसलिए, लगाए गए बंधन को असंवैधानिक माना जाना चाहिए और रद्द कर दिया जाना चाहिए। एक से अधिक कारणों से इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है। पहली बात, शर्त लागू करने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से तुच्छ अपीलों और संशोधन को रोकना है जो अधिकतम सीमा नीति के कार्यान्वयन में बाधा डालते हैं; दूसरी बात, उप-धारा (8) और (9) को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि

जमा या बैंक गारंटी किसी भी तरह से नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति से बहुत अधिक लाभ प्राप्त करने की प्रकृति में है जो अंततः भूमि के गैरकानूनी कब्जे में पाया जाता है; तीसरा, जमा या गारंटी भूमि स्वामित्व कर (कर का 30 गुना) से संबंधित है, जो हमें सूचित किया जाता है, हरियाणा राज्य में भिन्न होता है।

(सप) एस. सी. सी. 574 एम/एस. प्रौद्योगिकी पी. वी. टी.। लिमिटेड। (पहले से ही आई. सी. बी. पी. वी. टी. तकनीक के रूप में जाना जाता है। लिमिटेड.) वी. पंजाब राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

सालाना लगभग 8 रुपये प्रति एकड़ की मामूली राशि; चौथा, जमा की जाने वाली जमा राशि या जमा की जाने वाली बैंक गारंटी विवादित क्षेत्र के संबंध में देय भूमि स्वामित्व कर तक सीमित है, अर्थात वह क्षेत्र या उसका हिस्सा जिसे अनुमेय क्षेत्र अपीलार्थी या याचिकाकर्ता के लिए छोड़ने के बाद अधिशेष घोषित किया जाता है। उन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से देय वार्षिक भूमि कर की अल्प दर को ध्यान में रखते हुए, अपील/संशोधन के अधिकार पर लगाई गई बाधा, अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण को शर्त में ढील देने या माफ करने के लिए विवेकाधिकार प्रदान करने वाले प्रावधान के अभाव में भी, कठिन या अनुचित नहीं माना जा सकता है। अनुभाग के लिए चुनौती

18 (7) इसलिए, असफल होना चाहिए। "

10. द अनंत मिल्स कंपनी लिमिटेड और सेठ नंद लाल में निर्धारित सिद्धांतों का लगातार पालन किया गया है, उदाहरण के लिए (i) विजय प्रकाश डी. मेहता और एक अन्य बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर में।

अन्य 3; (iv) हरियाणा राज्य बनाम मारुति उद्योग लिमिटेड और अन्य; (v) आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य बनाम पी. लक्ष्मी देवी (श्रीमती) 1; (vi) हर देवी आसनानी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य "; और (vii) एस. ई. ग्रेफाइट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम तेलंगाना राज्य और Ors.[1]2।

11. संबंधित प्रावधानों की चौड़ाई और विस्तार के आधार पर इस न्यायालय के निर्णयों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः

कि पूर्व-जमा पर जोर देने से अपीलार्थी को अनुचित कठिनाई होगी। इस श्रेणी में निर्णय द अनंत मिल्स कंपनी लिमिटेड, विजय प्रकाश डी. मेहता, गुजरात एग्रो हैं। उद्योग और मारुति उद्योग '

1 0 10 (2008) 4 एससीसी 720 1 1 11 (2011) 14 एससीसी 160 1 2 12 (2019) एससीसी ऑनलाइन एससी 842 [2019] 12 एस. सी. आर.

ख) दूसरी ओर, सेठ नंद लाल, श्याम ने कहा कि निर्णय

किशोर ', पी. लक्ष्मी देवी 1 0, हर देवी आसनानी' andS.E।

ग्राफ़ाइट्स 1 2 उन मामलों से निपटता है जहां क़ानून प्रदान नहीं करता है अपीलीय प्राधिकरण पर ऐसा कोई विवेकाधिकार और फिर भी चुनौती

ऐसे प्रावधानों की वैधता को अस्वीकार कर दिया गया था।

12. सेठ नंद लाल के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले में इस बात पर विचार किया गया कि क्या पूर्व-जमा की आवश्यकता अनुचित कठिनाई का कारण बनेगी। तथापि, यह देखते हुए कि विचाराधीन दायित्व और पूर्व-जमा की परिणामी आवश्यकता देय वार्षिक भूमि-कर की एक अल्प दर थी, अपील/पुनरीक्षण के अधिकार पर लगाया गया प्रतिबंध, अपीलार्थी/पुनरीक्षण प्राधिकारी को शर्त में ढील देने या छूट देने का विवेकाधिकार प्रदान करने वाले प्रावधान के अभाव में भी, कठिन या अनुचित नहीं पाया गया।

13. श्याम किशोर में, वह प्रावधान जो सामने आया

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 170 (बी) पर विचार किया गया था, जिसके तहत संपत्ति कर से संबंधित विवाद की राशि है -

अपील पर विचार किए जाने से पहले जमा करना आवश्यक है। उक्त धारा 170 (बी) निम्नानुसार हैः

" S.170 अपील करने के अधिकार की शर्तें-कोई अपील नहीं की जाएगी

(ए)। (ख)
अपील में विवादित राशि, यदि कोई हो, जमा कर दी गई है।

निगम के कार्यालय में अपीलार्थी द्वारा।

इस मुद्दे पर प्रासंगिक निर्णयों पर विचार करने के बाद, एक तरीका सुझाया गया जिसके तहत संबंधित को कुछ राहत दी जा सकती है।

अपीलार्थी लेकिन अंत में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने सुझाव दिया कि इसका समाधान क़ानून में ही संशोधन करने में निहित है। इस संबंध में चर्चा इस प्रकार थीः

" 44. ... . अपीलीय न्यायाधीश की आनुषंगिक और सहायक शक्तियों को विशेष रूप से बाधित सीमा के अलावा कम नहीं किया जाना चाहिए।

कानून के अनुसार। हम इस प्रावधान की व्याख्या करने में कुछ भी गलत नहीं देखते हैं कि अपीलीय प्राधिकरण को अपील की सुनवाई स्थगित करने की अनुमति दी गई है, इस प्रकार निर्धारिती को कर का भुगतान करने के लिए समय दिया गया है या यहां तक कि विशेष रूप से समय या किश्तें दी गई हैं ताकि निर्धारिती विवादित कर को जमा करने में सक्षम हो सके जहां मामला योग्य है, जब तक कि यह अपीलीय अदालत के TECNIMONT PVT के कैलेंडर में अनुचित रूप से हस्तक्षेप नहीं करता है।

लिमिटेड। (पहले से ही आई. सी. बी. पी. वी. टी. तकनीक के रूप में जाना जाता है। लिमिटेड.) वी. पंजाब राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

सुनवाई। हालाँकि, उनकी शक्तियाँ अपील के निपटारे तक कर की वसूली पर रोक लगाने से कम होनी चाहिए। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह न्यायाधीश के लिए एक बात है कि वह सुनवाई को स्थगित कर दे और इसे निर्धारिती पर छोड़ दे कि वह स्थगित तिथि से पहले कर का भुगतान करे या निर्धारिती को अपील की सुनवाई से पहले अपने निर्देशों के अनुसार कर का भुगतान करने की अनुमति दे। ऐसा करने में, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं, तो वह विभाग को कर की वसूली करने से नहीं रोकता है और न ही रोक सकता है। वह निर्धारिती को केवल तभी कर का भुगतान करने का मौका दे रहा है जब वह चाहता है कि अपील पर सुनवाई हो। लेकिन यह है,

न्यायाधीश के लिए अपील के निपटारे तक वसूली पर रोक लगाना पूरी तरह से अलग बात है; जिसके परिणामस्वरूप परंतुक की भाषा में संशोधन किया जाएगाः जब तक कर का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक किसी भी अपील का निपटारा नहीं किया जाएगा। हालाँकि, इसके अलावा, शक्तियों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करने का कोई कारण नहीं है; उन्हें केवल यह सुनिश्चित करना है कि जब तक अपील की सुनवाई वास्तव में उसके गुण-दोष के आधार पर की जाती है, तब तक विवाद में संपूर्ण कर का भुगतान कर दिया जाए। इसलिए, हम धारा 170 के खंड (बी) को केवल अपील की सुनवाई और गुण-दोष के आधार पर इसके निपटारे के लिए एक बाधा के रूप में पढ़ेंगे और अपील के मनोरंजन के लिए एक बाधा के रूप में नहीं।

46. हम केवल यह चाहते हैं कि इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए क़ानून में जल्द ही संशोधन किया जाए। आखिरकार, डी. एम. सी. अधिनियम के तहत, अपीलीय प्राधिकरण एक उच्च न्यायिक अधिकारी होता है, जो जिला न्यायाधीश होता है, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि विधानमंडल को ऐसे उच्च न्यायिक अधिकारी पर इस तरह से अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए भरोसा नहीं करना चाहिए ताकि राजस्व और निर्धारिती दोनों के हितों की रक्षा की जा सके। हम सोचते हैं कि जब तक यह नहीं किया जाता है, तब तक इस प्रावधान के लिए एक उदार व्याख्या की आवश्यकता है ताकि ऐसे हितों को संरक्षित किया जा सके और ऐसा नहीं होना चाहिए

इतना कठोर रूप से समझा गया है कि केवल इसलिए कि अपील से पहले कर का भुगतान नहीं किया गया है, किसी अपील को सीमित सीमा में खारिज कर दिया जाए।

दाखिल किया "।

14. पी. लक्ष्मी देवी "में, डायन स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47 ए के परंतुक की वैधता जारी थी। उच्च न्यायालय ने सायन को असंवैधानिक करार दिया था, जिसे इस न्यायालय ने उलट दिया था।

रोविसो ने कहा कि धारा 47 ए में लिखा हैः

" बशर्ते कि पंजीकरण द्वारा कोई संदर्भ नहीं दिया जाएगा

अधिकारी जब तक कि उसके द्वारा प्राप्त घाटे के शुल्क के पचास प्रतिशत के बराबर राशि संबंधित पक्ष द्वारा जमा नहीं की जाती है।

प्रासंगिक चर्चा इस प्रकार थीः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 18. हमारी राय में, धारा के अधिनियमन से अनुच्छेद 14,19 या संविधान के किसी अन्य प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

47 - ए. 1998 के ए. पी. संशोधन अधिनियम 8 द्वारा संशोधित। यह

संशोधन केवल खामियों को दूर करने के लिए और शीघ्रता के लिए था।

स्टाम्प शुल्क की प्राप्ति। इसलिए यह प्रविष्टि 44 के साथ पठित सूची II की प्रविष्टि 63 के अनुसार राज्य विधानमंडल की शक्ति के भीतर है।

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III।

19. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि स्टाम्प शुल्क एक कर है, और कर लगाने वाले कानूनों को लागू करने में कठिनाई प्रासंगिक नहीं है, जिनका सख्ती से अर्थ लगाया जाना है। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, सी. आई. टी. बनाम के माध्यम से कर में कोई इक्विटी नहीं है। V.MR.P. दृढ़ मुहर 1 3. यदि कर कानून में उपयोग किए गए शब्द स्पष्ट हैं, तो कोई भी कानून के इरादे और उद्देश्य का पता लगाने का प्रयास नहीं कर सकता है। इसलिए उच्च न्यायालय कथित द्वारा जाने की कोशिश करने में गलती में गिर गया

मुद्रांक अधिनियम का उद्देश्य और इरादा, और उस कठिनाई का पता लगाने की कोशिश करके जो किसी पक्ष को विवादित द्वारा पैदा की जाएगी

1998 का संशोधन।

20. पार्टिंगटन वी. महान्यायवादी 1 4 लॉर्ड कैर्न्स ने टिप्पणी की

निम्नानुसारः

" यदि कर लगाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कानून के दायरे में आता है तो उस पर कर लगाया जाना चाहिए, हालांकि, बड़ी कठिनाई दिखाई दे सकती है। न्यायिक दिमाग में। दूसरी ओर, यदि कर की वसूली करने की मांग करने वाला न्यायालय इस विषय को कानून के दायरे में नहीं ला सकता है, तो विषय स्वतंत्र है, हालांकि, स्पष्ट रूप से इस भावना के तहत कि

कानून मामला अन्यथा प्रतीत हो सकता है।

उपरोक्त अवलोकन को अक्सर अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है

यह न्यायालय, और हम इसका फिर से समर्थन करते हैं। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य 1 5 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि किसी कानून में कठिनाई है तो कानून में संशोधन करना विधायिका का काम है, लेकिन अदालत से व्याख्या के मूल नियम को त्यागने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

कठिनाई को कम करने के लिए।

21. यह आई. टी. ओ. बनाम में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। टी. एस. देवीनाथ नादर 1 (आकाशवाणी के पैरा 23 से 28 के अनुसार) कि जहां कर लगाने के प्रावधान की भाषा स्पष्ट है, वहां अदालत चिंता नहीं कर सकती।

1965 एससी 1216

9) एलआर 4 एचएल 100

1955 एससी 661

1968 एससी 623 प्रौद्योगिकी पी. वी. टी. लिमिटेड। (पहले से ही आई. सी. बी. पी. वी. टी. तकनीक के रूप में जाना जाता है। लिमिटेड.) वी. पंजाब राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

स्वयं विधायिका के इरादे से। इसलिए, हमारी राय में

उच्च न्यायालय ने डाक टिकट में विवादित संशोधन को लागू करने में विधायिका के इरादे का पता लगाने की कोशिश करने के अपने दृष्टिकोण में गलती की

एक्ट करें।

22. इस संबंध में हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि

इसी प्रकार विभिन्न कानूनों में कुछ शर्तों के अधीन अपील करने का अधिकार दिया गया है जिसमें घाटे के शुल्क के 50 प्रतिशत का प्रावधान है। इन प्रावधानों की संवैधानिक वैधता इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में बरकरार रखा गया है जो उल्लेखनीय हैं

नीचे। 23. गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड बनाम नगर निगम।

अहमदाबाद शहर के इस न्यायालय ने पहले इसका उल्लेख किया था।

विजय प्रकाश डी. मेहता बनाम में निर्णय सीमा शुल्क कलेक्टर

जिसमें इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः (विजय प्रकाश मामला, एस. सी. सी. पी. 406 ,

पैरा 9)

" 9. अपील करने का अधिकार न तो एक पूर्ण अधिकार है और न ही प्राकृतिक न्याय का एक घटक है, जिसके सिद्धांतों का सभी न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निर्णयों में पालन किया जाना चाहिए। अपील करने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और इसे शर्तों द्वारा सीमित किया जा सकता है।

अनुदान में "।

इस निवेदन पर विचार करते हुए कि उक्त परंतुक के संदर्भ में, उन मामलों में भी कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है जहां पूर्व बैठक की आवश्यकता के परिणामस्वरूप बहुत पूर्वाग्रह हो सकता है, इस न्यायालय ने आगे कहाः

" 28. हालाँकि, हम एक काल्पनिक मामले पर विचार कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी संपत्ति का सही मूल्य 10 लाख रुपये है और वह मूल्य बिक्री विलेख में बताया गया है, लेकिन पंजीकरण अधिकारी ने गलती से

अधिकारी 10 लाख रुपये पर शुल्क की मांग करने के बजाय 2 करोड़ रुपये के 50 प्रतिशत पर शुल्क यानी 1 करोड़ रुपये पर शुल्क की मांग करेगा। एक पक्ष ऐसे मामले में पंजीकरण अधिकारी द्वारा धारा 47-ए के प्रावधान के तहत मांगे गए इस अत्यधिक कर्तव्य का भुगतान करने में सक्षम नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है। इस स्थिति में क्या किया जाए?

29. हमारी राय में इस स्थिति में यह हमेशा एक पक्ष के लिए खुला है कि वह [2019] 12 एस. सी. आर. द्वारा की गई अत्यधिक मांग को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर करे।

धारा 47-ए के परंतुक के तहत पंजीकरण अधिकारी यह आरोप लगाते हुए कि किया गया निर्धारण मनमाना और/या बाहरी विचारों पर आधारित है, और उस मामले में यह हमेशा उच्च न्यायालय के लिए खुला है, यदि वह संतुष्ट है कि आरोप सही है, तो डाक टिकट की धारा 47-ए के परंतुक के तहत ऐसी अत्यधिक मांग को दरकिनार कर सकता है। मांग को मनमाना घोषित करके कार्य करें। यह अच्छी तरह से तय है कि

मनमानेपन से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। भारत संघ 1. इसलिए पार्टी बेसहारा नहीं है। इस स्थिति में "।

15. हर देवी आसनानी में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 65 (1) की परंतुक की वैधता इस संदर्भ में विचार के लिए सामने आई कि किसी भी संशोधन आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि50 प्रतिशत के भुगतान के संतोषजनक प्रमाण के साथ

देय राशि। इस न्यायालय के पहले के फैसलों पर भरोसा करते हुए

पी. लक्ष्मी देवी में चुनौती को अस्वीकार कर दिया गया था और पी. लक्ष्मी देवी में निहित विचार को हर देवी आसनानी में दोहराया गया था।

: :

" 27. सरकार में। ए. पी. वी. पी. लक्ष्मी देवी 1 0 इस न्यायालय ने 1998 के आंध्र प्रदेश संशोधन अधिनियम 8 द्वारा शुरू किए गए स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए की उप-धारा (1) के प्रावधान को बरकरार रखते हुए,

देखा गयाः (एस. सी. सी पी. 737, पैरा 29)

" 29. हमारी राय में इस स्थिति में एक पक्ष के लिए यह हमेशा खुला है कि वह धारा 47-ए के परंतुक के तहत पंजीकरण अधिकारी द्वारा की गई अत्यधिक मांग को चुनौती देने के लिए एक रिट याचिका दायर करे, जिसमें आरोप लगाया गया है कि किया गया निर्धारण मनमाना है और/या बाहरी विचारों पर आधारित है, और उस मामले में उच्च न्यायालय के लिए हमेशा खुला है, यदि वह संतुष्ट है कि आरोप सही है, तो मांग को मनमाना घोषित करके स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के परंतुक के तहत ऐसी अत्यधिक मांग को दरकिनार कर दे। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि मनमानेपन अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है

संविधान (मेनका गांधी बनाम। भारत संघ ")। इसलिए, पार्टी इस स्थिति में कोई सुधार नहीं कर पा रही है।

28. इसलिए, हमारे विचार में, विद्वान एकल न्यायाधीश को यह पता लगाने के लिए वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करनी चाहिए थी कि क्या

द्वारा खरीदी गई संपत्ति के मूल्य का निर्धारण

अपीलार्थी और उससे अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की मांग

8) 1 एस. सी. सी. 248 = ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 597 एम/एस. प्रौद्योगिकी पी. वी. टी.

लिमिटेड। (पहले से ही आई. सी. बी. पी. वी. टी. तकनीक के रूप में जाना जाता है। लिमिटेड.) वी. पंजाब राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा अपीलकर्ता अत्यधिक थे ताकि कॉल कर सकें

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप के लिए।

16. इन निर्णयों से पता चलता है कि द अनंत मिल्स कंपनी लिमिटेड में कानून के निम्नलिखित बयानों ने इसके बाद के निर्णयों का मार्गदर्शन किया है।

न्यायालयः

..... अपील का अधिकार एक क़ानून का सृजन है। इस तरह के अधिकार का निर्माण करने वाले वैधानिक प्रावधान के बिना पीड़ित व्यक्ति है

अपील दायर करने का अधिकार नहीं है।

..... एक कानून बनाने की अनुमति है कि कर के निर्धारण से संबंधित आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी जब तक कि कर को लागू नहीं किया गया था।

भुगतान किया।

..... यह विधानमंडल के लिए खुला है कि वह उस पक्ष पर एक सह-दायित्व अधिरोपित करे जिसे कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है या निर्धारित करने के लिए

अधिकार के प्रयोग के लिए शर्तें। उस दायित्व के निर्वहन या उस शर्त की पूर्ति के लिए कोई भी आवश्यकता, यदि संबंधित पक्ष उक्त अधिकार का लाभ उठाना चाहता है, एक वैध अंश है।

कानून "।

17. इन सिद्धांतों के आलोक में, उच्च न्यायालय ने पी. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 62 (5) को वैध और वैध ठहराया और पूर्व-जमा के 25 प्रतिशत की शर्त को भारी, कठोर, अनुचित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना। अब हम प्रश्न की ओर मुड़ते हैं (ग)

जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किया गया है और इस बात पर विचार करें कि उक्त प्रश्न का उत्तर देते समय उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सही थे या नहीं।

18. यह सच है कि जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 11 में निर्धारित किया गया है, दूसरी श्रेणी में आने वाले मामलों में, जहां द्वारा कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं किया गया था

पूर्व-जमा की आवश्यकता के विरुद्ध राहत देने के लिए अपीलीय प्राधिकरण पर संविधि, उन मामलों में से प्रत्येक में संबंधित प्रावधान की वैधता को चुनौती देने को खारिज कर दिया गया था। लेकिन सेठ नंद लाल मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय उस पृष्ठभूमि में था जिसे इस न्यायालय ने वार्षिक भूमि की अल्प दर-देय कर माना था। श्याम किशोर में निर्णय ने एक समाधान खोजने और अत्यधिक कठिनाई वाले मामलों में कुछ सहायता प्रदान करने का प्रयास किया, लेकिन वह सीमा से अच्छी तरह वाकिफ था। पी. लक्ष्मी देवी 1 0 और हर देवी अस्त्रानी में भी यही जागरूकता व्यक्त की गई थी और यह कहा गया था कि अत्यधिक कठिनाई के मामलों में एक रिट याचिका एक उचित उपाय हो सकता है। लेकिन वर्तमान मामले में

उच्च न्यायालय ने एक कदम और आगे बढ़कर पाया है कि अपीलीय प्राधिकरण के पास इस तरह की सांत्वना देने और [2019] 12 एस. सी. आर. तक पहुंचने की निहित शक्ति होगी।

ऐसे निष्कर्ष पर कुन्ही 1 में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता रखी गई है।

19. कुन्ही 1 ने निस्संदेह निर्धारित किया कि एक स्पष्ट अनुदान

वैधानिक शक्ति अपने साथ, आवश्यक निहितार्थ से, इस तरह के अनुदान को प्रभावी बनाने के लिए सभी उचित साधनों का उपयोग करने का अधिकार रखती है। लेकिन क्या इस तरह की आकस्मिक या निहित शक्ति का उपयोग किया जा सकता है और पूर्व-जमा की आवश्यकता के खिलाफ राहत देने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जब कानून स्पष्ट जनादेश में कहता है-जब तक कि विचाराधीन राशि का 25 प्रतिशत जमा नहीं किया जाता है, तब तक कोई अपील नहीं की जा सकती है? क्या इस तरह की कोई भी कवायद पूर्व जमा के प्रावधान के आदेश को निरर्थक और अर्थहीन नहीं बनाएगी? 20. निहित शक्तियों के दायरे और विस्तार पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने माताजोग दुबे बनाम. एच. सी. भरी 1 8

इस मुद्दे पर भी बात की गई कि क्या इस तरह की शक्ति का प्रयोग इस तरह की शक्ति के प्रयोग को बाधित करने वाले स्पष्ट वैधानिक प्रावधान के खिलाफ जाने की अनुमति दे सकता है। चर्चा इस प्रकार थीः

" जहां कोई शक्ति प्रदान की जाती है या कानून द्वारा या अन्यथा लगाया गया कर्तव्य होता है, और ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता है जो किसी सीमा या प्रतिबंधों द्वारा शक्ति के प्रयोग या कर्तव्य के प्रदर्शन को स्पष्ट रूप से बाधित करता है, तो यह मानना उचित है कि यह अपने साथ शक्ति रखता है।

ऐसे सभी कार्यों को करने या ऐसे साधनों का उपयोग करने के लिए जो ऐसे निष्पादन के लिए उचित रूप से आवश्यक हैं। यदि शक्ति के प्रयोग या आधिकारिक कर्तव्य के प्रदर्शन में, अनुचित या गैरकानूनी

बाधा या प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, बाधा को दूर करने या प्रतिरोध को दूर करने के लिए उचित साधनों का उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए। यह सामान्य ज्ञान के अनुरूप है और कानून के किसी भी सिद्धांत के विपरीत नहीं लगता है। इस प्रकार ब्रूम के लीगल मैक्सिम्स, 10 वें संस्करण में वास्तविक स्थिति को बड़े करीने से बताया गया है। , पृष्ठ 312 परः " यह एक नियम है कि जब कानून किसी काम को करने का आदेश देता है, तो यह

जो कुछ भी आवश्यक हो सकता है उसके प्रदर्शन को अधिकृत करता है अपने आदेश का पालन करना। " (जोर दिया गया)

21. श्याम किशोर में भी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। उल्लेखनीय बात यह है कि कुन्ही में निर्णय पर भी विचार किया गया था और यह

यह देखा गयाः

" 40. हम धारा 170 (बी) की शर्तों को पहले ही निर्धारित कर चुके हैं। निगम द्वारा इसकी व्याख्या इस अर्थ में की गई है कि किसी निर्धारिती द्वारा की गई अपील को सीमित रूप से खारिज किया जाना चाहिए जब तक कि -

लिमिटेड। (पहले से ही आई. सी. बी. पी. वी. टी. तकनीक के रूप में जाना जाता है। लिमिटेड.) वी. पंजाब राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

विवाद में कर का भुगतान कर दिया गया है और अपील प्राधिकरण के लिए अपील के निपटारे तक रोक लगाने की किसी भी शक्ति का प्रयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रथम दृष्टया, निगम का यह तर्क कि अपील के निपटारे तक विवादित कर के संग्रह पर रोक लगाने के लिए जिला न्यायाधीश में एक शक्ति को पढ़ने के लिए धारा 170 (बी) के विपरीत चलेगा, अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होता है। यद्यपि सामान्य नियम यह है कि किसी अपीलीय की आनुषंगिक और सहायक शक्तियाँ

प्राधिकरण में अपील के तहत आदेश पर रोक लगाने की शक्ति शामिल होगी-आई. टी. ओ. v. एम. के. मोहम्मद कुन्ही 1-उस शक्ति को धारा 170 (बी) में नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि ऐसी व्याख्या धारा 170 (बी) को पूरी तरह से अव्यवहारिक बना देगी। एक तर्क था

हमारे समक्ष संबोधित किया गया कि अधिनियम की धारा 457 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ऐसी शक्ति जिला न्यायाधीश को दी जा सकती है। रिलायंस को एकल पीठ पर रखा गया था

पुंज संस (पी) लिमिटेड बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय।

दिल्ली नगर निगम "जहाँ एक विद्वान एकल न्यायाधीश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि अधिनियम की धारा 457 को देखते हुए जिला न्यायाधीश के पास अधिनियम की धारा 169 के तहत अपील में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 5 का सहारा लेने की शक्तियां हैं। पूरे सम्मान के साथ हम नहीं करते हैं उक्त मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश के तर्क से सहमत हैं। वास्तव में अपील के तहत दिए गए फैसले में तीनों न्यायाधीशों ने भी विद्वान एकल न्यायाधीश के इस दृष्टिकोण से असहमति जताई है।

पुंज सन्स का मामला "। इसका कारण सरल है क्योंकि धारा 457

स्वयं कहता है कि सिविल संहिता में प्रदान की गई प्रक्रिया

मुकदमों के संबंध में प्रक्रिया का पालन "जहां तक इसे लागू किया जा सकता है" किया जाना चाहिए। कानून के अन्य प्रावधान पूरी तरह से वर्जित करते हैं।

इस तरह की राहत का अनुदान। अन्य प्रावधान होने चाहिए

एकर संग सामंजस्यपूर्ण ढंग सँ पढ़ू आ एकर अपमान मे नहि। इसलिए, धारा 457 स्वयं उस निर्धारिती की सहायता नहीं करती है जिसका मामला

खंड पर रखे जाने वाले निर्माण पर पूरी तरह से निर्भर करता है

170 (बी)। लेकिन फिर भी किसी को यह देखने के लिए धारा 170 (बी) की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी कि क्या कर के भुगतान में चूक के लिए अपील को खारिज करने के अलावा, जिला न्यायाधीश के पास इस मामले में कोई अधिकार है। (जोर दिया गया)

22. इसी तरह की सीमा को हमेशा सी. पी. सी. 20 की धारा 151 जैसे प्रावधानों द्वारा स्वीकार किए गए अंतर्निहित ers की चौड़ाई में पढ़ा गया है और

2 राजधानी एलआर 247: (1982) 21 डी. एल. टी. 182 (दिल्ली उच्च न्यायालय)

सिविल प्रक्रिया, 1908 [2019] 12 एस. सी. आर.

विनोद सेठी बनाम में Cr.P.C.21 के 482 पर। देविंदर बजाज 22, द

ssion निम्नानुसार थाः

" 28. चूंकि संहिता के प्रावधान संपूर्ण नहीं हैं, इसलिए धारा

151 लागू करने का इरादा है जहां कोड किसी को शामिल नहीं करता है

विशेष प्रक्रियात्मक पहलू, और न्याय के हितों की आवश्यकता है

किसी विशेष स्थिति को कवर करने के लिए शक्ति का प्रयोग। धारा 151 है -

किसी भी प्रकार का अनुदान देने की शक्ति प्रदान करने वाले कानून का प्रावधान नहीं

ठोस राहत। यह एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है जो अंतर्निहित को बचाता है।

न्यायालय की ऐसे आदेश देने की शक्ति जो इसके लिए आवश्यक हो न्याय के उद्देश्य और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए

अदालत। इसे किसी ऐसे मामले के संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता है जो

संहिता में एक विशिष्ट प्रावधान द्वारा कवर किया गया। इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

देनदारियाँ और दायित्व जो किसी भी कानून द्वारा विचार नहीं किए गए हैं। 29. पदम सेन बनाम में धारा 151 के दायरे को ध्यान में रखते हुए। राज्य

पी. 23, इस न्यायालय ने कहाः (एयर पी। 219 , पैरा 8-9)

" 8. ..... न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ इसके अतिरिक्त हैं -

संहिता द्वारा न्यायालय को विशेष रूप से प्रदत्त शक्तियाँ। वे हैं।

उन शक्तियों के पूरक और इसलिए इसे आयोजित किया जाना चाहिए

कि न्यायालय उद्देश्यों के लिए उनका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है संहिता की धारा 151 में उल्लिखित है जब

उन शक्तियों का किसी भी तरह से जो कुछ हुआ है उसके साथ टकराव नहीं है। संहिता में स्पष्ट रूप से या के इरादों के खिलाफ प्रदान किया गया है

विधायिका।

9. ..... संहिता की धारा 151 द्वारा सहेजी गई अंतर्निहित शक्तियाँ हैंः

न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में

उससे पहले कारण का निर्धारण करना। ये शक्तियाँ सत्ता नहीं हैं। मूल अधिकार जो किसी भी वादी के पास हैं। विशिष्ट।

इस तरह के पारित करने के लिए अदालतों को शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए

आदेश जो किसी पक्ष के ऐसे अधिकारों को प्रभावित करेंगे।

(जोर दिया गया)

ई ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1976 0) 8 एससीसी 1

1961 एससी 218)

तकनीक पी. वी. टी. लिमिटेड। (पहले से ही आई. सी. बी. पी. वी. टी. तकनीक के रूप में जाना जाता है। लिमिटेड.) वी. पंजाब राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

30. मनोहर लाल चोपड़ा बनाम। सेठ हीरालाल 2 4, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

(एयर पी। 533, पैरा 21)

" 21. ..... कि अंतर्निहित शक्तियाँ किसी भी तरह से संहिता के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित नहीं हैं जैसा कि धारा 151 में ही विशेष रूप से कहा गया है। लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग तब नहीं किया जाना चाहिए जब उनका प्रयोग संहिता में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई बातों के साथ या उनके इरादों के खिलाफ हो। विधायिका "।

31. राम चंद एंड संस शुगर मिल्स (पी) लिमिटेड बनाम कन्हैयालाल

भार्गव 25 इस न्यायालय ने दोहराया कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति स्पष्ट रूप से शक्तियों के अतिरिक्त और पूरक है।

संहिता के तहत प्रदत्त लेकिन उस शक्ति का प्रयोग तब नहीं किया जाएगा जब इसका प्रयोग किसी के साथ असंगत है, या किसी के साथ संघर्ष में आता है।

द्वारा स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ संहिता के अन्य प्रावधान। धारा 151 हालांकि नहीं है

एक नई प्रक्रिया या कोई नया अधिकार या दायित्व बनाने का इरादा।

32. नैन सिंह बनाम। कुंवरजी 26 इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः (एस. सी. सी पी. 735, पैरा 4)

“ 4 ... ... सी. पी. सी. की धारा 151 द्वारा मान्यता प्राप्त न्यायालयों की अंतर्निहित शक्ति के तहत, अदालत को ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं है जो निषिद्ध है।

कोड के अनुसार। न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता होनी चाहिए इस नियम के अधीन प्रयोग किया गया कि यदि संहिता में विशिष्ट प्रावधान हैं जो आवश्यकताओं को पूरा करेंगे

मामले में, ऐसे प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए और अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र होना चाहिए

इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, न्यायालय संहिता की धारा 151 के विशेष प्रावधानों का उपयोग नहीं कर सकता है जहां एक पक्ष को संहिता में कहीं और अपना उपाय प्रदान किया गया था।

23. धारा 482 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के संबंध में

ग., यह सूरज देवी बनाम में देखा गया था। प्यारे लाल और एक और ",

यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति नहीं हो सकती है

ऐसा करने के लिए प्रमाणित किया गया जो विशेष रूप से द्वारा निषिद्ध है। सिमरिखिया v में इस सिद्धांत का पालन किया गया था। डॉली मुखर्जी1962 एससी 527) 1966 एससी 1899) 0) 1 एससीसी 732

और छवि मुखर्जी और अन्य 28 और राज्य बनाम। के. वी. राजेंद्रन और अन्य 29.

24. यदि अंतर्निहित शक्ति, जिसके अस्तित्व को सी. पी. सी. की धारा 151 और आई. डी. 1 की धारा 482 जैसे प्रावधानों द्वारा विशेष रूप से स्वीकार किया जाता है, को इस सीमा के साथ पढ़ा जाना है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग वह करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो विशेष रूप से निषिद्ध है, तो उसी सीमा को एक क़ानून के तहत एक अपीलीय प्राधिकरण की निहित शक्ति के दायरे और चौड़ाई में पढ़ा जाना चाहिए। किसी भी मामले में माताजोग डोबे 1 8 में निर्धारित सिद्धांत स्पष्टता के साथ कहता है कि जब तक कोई स्पष्ट अवरोध नहीं है, तब तक निहित शक्ति ऐसे सभी कार्यों को करने या ऐसे साधनों को नियोजित करने के लिए विस्तारित हो सकती है जो इस तरह के निष्पादन के लिए उचित रूप से आवश्यक हैं। कुन्ही में निर्धारित सिद्धांत पर निर्भरता इस हद तक नहीं जा सकती है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है, कि अपीलीय प्राधिकरण को क़ानून द्वारा निर्धारित सीमा को ओवरराइड करने और कानून के खिलाफ जाने में सक्षम बनाता है।

पूर्व-जमा की आवश्यकता। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से प्रश्न (ग) का उत्तर देने में गलती की थी।

25. जैसा कि पी. लक्ष्मी देवी 1 0 और हर देवी अस्रानी में कहा गया है।

कठिनाई के मामलों में, सहारा अभी भी संबंधित व्यक्ति के लिए खुला रहेगा। हालाँकि, यह कहना पूरी तरह से अलग बात होगी कि अपीलीय प्राधिकरण स्वयं इस तरह की राहत दे सकता है। जैसा कि श्याम किशोर में कहा गया है कि इस तरह की कोई भी कवायद प्रावधान को ही अव्यवहारिक बना देगी और वैधानिक इरादे को निरर्थक बना देगी। 26. परिसर में, हम प्रश्नों (क) और (ख) के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रश्न (ग) के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार को दरकिनार कर देते हैं। अपीलें

इसलिए निर्धारिती द्वारा वरीयता प्राप्त लोगों को बर्खास्त कर दिया जाता है और जिन्हें वरीयता दी जाती है प्रश्न (ग) के संबंध में निर्णय के विरुद्ध राज्य द्वारा अनुमति दी जाती है। कोई लागत नहीं।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

निधि जैन 28 (1990) 2 एससीसी 437 29 (2008) 8 एससीसी 673